(2013) 2 एससीआर 899

थाना सिंह

बनाम

केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो

(आपराधिक अपील सं 1640/2010)

23 जनवरी 2013

(**डी के जैन और जगदीश सिंह खेहर**, **जेजे**)

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 32 21 और 141 - नार्कोटिक ड्रग्स और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम(एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियुक्त की अपील-जमानत की मांग- अभियुक्त को जमानत देने से इनकार कर दिया गया और मुकदमा शुरू होने के इंतजार में 12 साल से जेल में था- सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी - साथ ही सभी राज्यों को यथास्थिति का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया और सभी राज्यों में लंबित एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में सुनवाई की स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त किया-मार्गदर्शन और दिशानिर्देश जारी किए गए-स्थगन देने की प्रथा भव्य रूप से समाप्त की जाएगी - धारा 309 (2) सीआरपीसी(2009 के अधिनियम 5 की धारा 21बी द्वारा अंतःस्थापित का चतुर्थ प्रावधान जो अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रहा है

तत्काल अधिसूचना के योग्य है-जब तक कि वैधानिक प्रावधान लागू नहीं हो जाते न्यायालय ने निर्देश दिए कि कोई भी एनडीपीएस कोर्ट पार्टी के अनुरोध पर स्थगन नहीं देगी सिवाय जहां पक्ष की परीस्थितियां नियत्रंण से परे हो और जहां अधिवक्ता की सुविधा के अनुसार सुनवाई की तारीख तय की गई हो बिना किसी अपवाद के कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा - एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 22 सी के अनुरूप एक प्रावधान का कानून बनाना चाहिए - न्यायालयों को सेशन ट्रायल'की पद्धति अपनाने और तीन से चार दिनों की ब्लॉक अवधि में लगातार तारीखों पर एक गवाह की परीक्षा व प्रतिपरीक्षा लेने का निर्देश दिया गया-अदालतें धारा 293 सीआरपीसी के अनुसार शपथ पत्र के रूप में आधिकारिक गवाहों के बयान दर्ज करेगी-राज्यों को विशेष रूप से एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के साथ निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया गया है - इन अदालतों की संख्या लंबित मामलों की संख्या को संभालने के लिए आनुपातिक और पर्याप्त होनी चाहिए - विशेष एनडीपीएस न्यायालय की स्थापना तक एनडीपीएस मामलों की अन्य सभी मामलों पर प्राथमिकता होगी-अधिक संख्या में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं(सीएफएसएल स्थापित की जानी चाहिए ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से जरूरतों को पूरा किया जा सके-प्रत्येक राज्य को राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय स्तरीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का निर्देश दिया गया - फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय को उपकरणाेंं के मानकीकरण को सुनिश्चित

करने और मौजूदा प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए विशेष कदम उठाने के लिए निर्देश दिया गया - निश्चित रूप से एनडीपीएस अधिनियम के तहत पुनः परीक्षण@पुनः नमूने लेने पर विचार नहीं किया जाएगा - नोडल अधिकारी(पुलिस अधीक्षक के पद के समकक्ष या श्रेष्ठ जांच और मुकदमे की प्रगति की निगरानी के लिए एनडीपीएस मामलों से निपटने वाले सभी विभागों में नियुक्त होंगे - वहाँ प्रत्येक न्यायालय के लिए एक पैरवी अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो नोडल अधिकारी को दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्ट करे- धारा 24 सीआरपीसी के अंतर्गत केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। धारा 207 सीआरपीसी की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए निर्देशित किया कि आरोप-पत्र को दर्ज करना व अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो - नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 309¼2½ प्रावधान 4 (जैसा कि 2009 के अधिनियम 5 की धारा 21 बी द्वारा अंतःस्थापित धारा 293, 207 व 24 - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 - धारा 22 सी।

विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व कर रही सुप्रिम कोर्ट विधि सहायता समिति बनाम भारत संघ व अन्य(1994 6 एससीसी 731 1994 4 पूरक एससीआर 386 अचिंत नवीनभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य व अन्य 2002 10 एससीसी 529 हुसैनआरा खातून व अन्य बनाम गृह

सचिव बिहार राज्य 1980 1 एससीसी 81ः 1979 3 एससीआर 169- पर निर्भर।

केरल राज्य बनाम दीपक पी शाह 2001 सीआरआईएलजे 2690 निहाल खान बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार 2007 सीआरआईएलजे 2074 - संदर्भित किया गया।

एंटोनियो रिचर्ड रॉचिन बनाम कैलिफोर्निया राज्य के लोग 96 एल एड 183 1951 - संदर्भित किया गया।

केस लॉ रेफरेंसः

1994 4 पूरक एससीआर 386	भरोसा किया	पैरा 1
2002 10 एससीसी 529	भरोसा किया	पैरा 1
96 एलएड 183 1951	पेश किया	पैरा 2
1979 3 एससीआर 169	भरोसा किया	पैरा 8
2001 सीआरआईएलजे 2690	पेश किया	पैरा 23
2007 सीआरआईएलजे 2074	पेश किया	पैरा 23

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1640/2010

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय पीठ इंदौर द्वारा आपराधिक मुतफर्रिक मुकदमा संख्या 6036/2009 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.10.2009 से उत्पन्न।

पीपी मल्होत्रा एएसजी ए मारियारपुथम एजी जेएस अत्री डॉ मनीष सिंघवी अजय बंसल मनजीत सिंह एएजी सुनिल वर्मा जीबी सिंह प्रदीप कुमार कौशिक प्रसून कुमार मिश्रा संजय शेरावत अनिता शेनोय एसी यशिफ रउफ प्रियंका भरीहोके आरके राठौड़ रश्मि मल्हौत्रा एम खैराती डीएस मेहरा बीके प्रसाद श्रीकान्त एन तेरडल अनिल कटियार अमित लुभाया इरशाद अहमद सुनिल के जैन सचिन शर्मा देवेन्द्र सिंह कुलदीप सिंह परदमान सिंह धीरज गुप्ता राजीव कुमार गौरव यादव गुन्नाम वैन्कटेश्वर राव अशोक के श्रीवास्तव एडीएन राव नीलम जैन सीडी सिंह अशोक माथुर अतुल झा संदीप झा डीके सिन्हा एस गौतमन पीआई जोश गोपाल सिंह मनीष कुमार चंदन कुमार गोपाल प्रसाद रितु राज बिस्वास (हेमन्तिका वही की ओर से पिंकी ईना तोलानी शुभदा देशपाण्डे नरेश के शर्मा रंजन मुखर्जी ख्वाइराकपम नोबिन सिंह अनिल श्रीवास्तव वर्तिका सहाय वालिया (कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप की ओर से अत्रे आशुतोष शर्मा बृजेश पांचाल ऐश्वर्या शांडिल्य जतिंदर कुमार भाटिया योगेश कन्ना आशा जी नायर विभा दत्ता मखीजा, अर्ची अग्निहोत्री प्रज्ञान पी शर्मा मनकाकिनी शर्मा पीवी योगेश्वरन सुरेश सीएच त्रिपाठी जीएस चटर्जी के एनाटोली सेमा बालाजी श्रीनिवासन वीजी प्रगसम अरुणा माथुर यूसुफ खान (अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी की ओर से

तारजीत सिंह चिक्कारा कमल मोहन गुप्ता सिद्धार्थ भटनागर पवन कुमार बंसल टी महिपाल डी महेश बाबू मयूर आर शाह अमित के नैन अमजिद मकबूल टीवी रत्नम सुनील फर्नांडिंस आस्था शर्मा वर्णिका तोमर इंशा मीर बीना माधवन टीजीएन नायर के एन मधुसूदनन अविजीत भट्टाचार्जी अनीप सचथे मोहित पॉल शगुन मट्टा साकर सरदाना ए सुभाशिनी अनिरुद्ध पी मयी रुचा ए मयी उपस्थित पक्षकारान की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश सुनाया गया-

आदेश

1. यह आदेश और इसके साथ जुड़े निर्देश इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध जमानत प्रकरण थाना सिंह बनाम केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का परिणाम हैं जिसमें एक आरोपी जो बारह साल से अधिक समय से जेल में बंद था नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (इसके बाद इसे 'एनडीपीएस एक्ट' कहा जाएगा के तहत एक अपराध के लिए अपने मुकदमे की शुरुआत का इंतजार कर रहा था को उच्च न्यायालय द्वारा भी लगातार जमानत देने से इनकार किया गया। गौरतलब है कि जिस अपराध के लिए आरोपी को जेल में रखा गया था उसके लिए अधिकतम सजा बीस साल है इसलिए विचाराधीन कैदी कारावास की अधिकतम अवधि के आधे से अधिक समय तक हिरासत में रहा था। विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सुप्रीम कोर्ट विधि सहायता

समिति बनाम भारत संघ व अन्य [1] के मामले में इस न्यायालय की एक स्पष्ट घोषणा जिसमें कहा गया था कि जहां विचाराधीन अभियुक्त पर अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है जिसमें न्यूनतम दस साल की कैद और न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है ऐसे विचाराधीन अभियुक्त जमानत पर रिहा कर दिए जाएंगे यदि वह कम से कम पांच साल तक जेल में रहा हो बशर्ते कि वह एक लाख रुपये की राशि और इतनी ही राशि की दो जमानते दे अधिनियम की धारा 37 के आलोक में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में प्रतिबंधित प्रयोज्यता पाता है। इसलिए यह न्यायालय अचिंत नवीनभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य व अन्य [2] में देखता है कि बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि एनडीपीएस मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में आम तौर पर आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है।'"

2. हमें एंटोनियो रिचर्ड रोचिन बनाम कैलिफोर्निया राज्य [3] के लोग में जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के अमर शब्द याद आते हैं संयोग से यह नशीले पदार्थों से संबंधित एक मामला है जिसमें उन्होंने राज्य एजेंटों द्वारा कुछ प्रकार के आचरण का वर्णन किया है हालांकि संविधान में स्पष्ट भाषा द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध नहीं है जो कि 'अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं में वे अपमान करते है कि शालीनता और निष्पक्षता के वे सिद्धांतों जो न्याय की धारणाओं को व्यक्त करते हैं। कानून की उचित प्रक्रिया के लिए

राज्य को उन सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है जो हमारे लोगों की परंपराओं और विवेक में इतने निहित हैं कि उन्हें मौलिक माना जाता है'

मामलों की सामान्य स्थिति एक समान विवरण की हकदार है।

3. जिस ढिलाई के साथ हम नागरिकों को जेल में डालते हैं, वह कैद के कष्टों के प्रति हमारी सराहना की कमी को दर्शाता है जिस निर्दयता के साथ हम उन्हें वहां छोड़ते हैं वह मानवता के प्रति हमारे सम्मान की कमी को दर्शाता है। यह हमारी नासमझी को भी दर्शाता है जब हमारी जेलें चरमरा रही हैं। स्वयं कैदी के लिए, मुकदमे के प्रयोजनों के लिए कारावास उतना ही तुच्छ है जितना कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर कारावास क्योंकि समाज की हानिकारक उंगली और अपमानजनक निगाहें दोनों के बीच कोई अंतर नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन कैदी की दुर्दशा केवल इस न्यायालय द्वारा की गई गहन जांच पर ही ध्यान केंद्रित करती है और इसके तुरंत बाद जल्दी ही पृष्ठभूमि में लुप्त हो जाती है।

4. इसलिए उपरोक्त अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए उस मामले में उचित जमानत देने के बाद हमने यथास्थिति का संज्ञान लेने और सभी राज्यों में लंबित ऐसे मामलों में परीक्षणों की स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। तदनुसार दिनांक 30.08.2010 के आदेश के तहत हमने सभी राज्यों को उनके मुख्य सचिवों के माध्यम से

एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी मामलों की जानकारी देने वाले शपथपत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जहां विचाराधीन कैदी को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए कैद में रखा गया है। उसी के अनुसरण में, हमें भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पीपी मल्होत्रा विद्वान न्याय मित्र सुश्री अनीता शेनॉय की बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई श्री आरके गौबा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण साकेत नई दिल्ली उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जांच और अभियोजन के वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के प्रतिनिधि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग और संबंधित राज्यों की पुलिस।

5. हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में सभी संबंधितों द्वारा उचित पालन के लिए इसके बाद निर्दिष्ट मार्गदर्शन और दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं। यह मौलिक अधिकारों विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत शामिल मौलिक अधिकारों के समूह को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपलब्ध शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता है जिसका एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमों की स्थिति के कारण खुलेआम उल्लंघन होता है। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये निर्देश केवल एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्यवाही तक ही सीमित हैं।

निर्देश

ए. स्थगन

6. जिस भव्यता के साथ स्थगन दिया जाता है वह नशीले पदार्थों के परीक्षणों तक ही सीमित नहीं है हर स्तर पर अदालतें इस दुर्दशा से पीड़ित हैं। स्थगन की उदार व्यवस्था के संस्थागतकरण का उपयोग विभिन्न विचारों के लिए मुकदमों को लम्बा खींचने के लिए किया जाता है।

7. ऐसी प्रथा पूर्णतः समाप्त किये जाने योग्य है। विधायिका ने समस्या से निपटने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 2009 के अधिनियम 5 की धारा 21बी के माध्यम से की धारा 309¼2½ के चौथे परन्तुक के रूप में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया लेकिन इसके लिए अधिसूचना का इंतजार है। एक बार अधिसूचित होने पर धारा 309 इस प्रकार पढ़ी जाएगी

"309. **कार्यवाहियों को स्थगित करने की शक्ति**

1- प्रत्येक जांच या मुकदमे में कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी और विशेष रूप से जब गवाहों के बयान एक बार शुरू हो जाते है तो इसे दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों के बयान नहीं हो जाते जब तक कि न्यायालय को अगले

दिन से आगे का स्थगन कारणों को दर्ज करने के लिए आवश्यक न लगे।

2- यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान लेने, या मुकदमा शुरू होने के बाद किसी जांच या मुकदमे की शुरुआत को स्थगित करना आवश्यक या उचित समझता है तो वह समय-समय पर कारणों को दर्ज कर सकता है उसे ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो वह उचित समझे ऐसे समय के लिए जब वह उचित समझे और यदि वह हिरासत में है तो वारंट द्वारा आरोपी को रिमांड पर ले सकता हैः

बशर्ते कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को इस धारा के तहत एक समय में पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं भेजेगाः

बशर्ते कि जब गवाह उपस्थित हों तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर उनके बयान लिए बिना कोई स्थगन नहीं दिया जाएगाः

परंतु यह भी कि कोई भी स्थगन केवल आरोपी व्यक्ति को उस पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि-

क- किसी पक्ष के अनुरोध पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा सिवाय इसके कि परिस्थितियां उस पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों

बी- यह तथ्य कि किसी पक्ष का वकील दूसरे न्यायालय में कार्यरत है आधार या स्थगन नहीं होगा

ग- जहां एक गवाह अदालत में मौजूद है लेकिन एक पक्ष या उसका वकील मौजूद नहीं है या पक्ष या उसका वकील अदालत में मौजूद होने के बावजूद गवाह की जांच या जिरह करने के लिए तैयार नहीं है तो अदालत यदि उचित समझे गवाह का बयान रिकॉर्ड और ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो उस गवाह की मुख्य परीक्षा या जिरह से छूट देना उचित समझे जैसा भी मामला हो

स्पष्टीकरण 1- यदि संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त किए गए हैं कि हो सकता है अभियुक्त ने कोई अपराध किया हो और ऐसा प्रतीत होता है कि रिमांड द्वारा और सबूत प्राप्त किए जा सकते हैं यह रिमांड के लिए एक उचित कारण है।

स्पष्टीकरण 2- जिन शर्तों पर स्थगन दिया जा सकता है उनमें उचित मामलों में अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा कोस्ट का भुगतान शामिल है।

जोर दिया गया

8. चौथा परंतुक तत्काल अधिसूचना का पात्र है। इसकी स्पष्ट अनुपस्थिति से उत्पन्न कमी के बदले में जो त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है(देखेंः हुसेनआरा खातून व अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य [(4)]) जिसकी रक्षा करना और बरकरार रखना इस न्यायालय का कर्तव्य है और जब तक वैधानिक प्रावधान लागू नहीं हो जाते हम निर्देश देते हैं कि कोई भी एनडीपीएस अदालत किसी पक्ष के अनुरोध पर स्थगन नहीं देगी सिवाय इसके कि जहां परिस्थितियाँ पार्टी के नियंत्रण से बाहर हो। इस अपवाद को एक अपवाद के रूप में माना जाना चाहिए और स्थगन देने के खिलाफ सामान्य नियम को निगलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा जहां सुनवाई की तारीख वकील की सुविधा के अनुसार तय की गई है वहां बिना किसी अपवाद के कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। इस सिद्धांत का पालन करने से न्याय के दरवाजे तक लगने वाली कतार को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

9. शायद एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 22 सी के अनुरूप एक प्रावधान पर

विधायिका द्वारा गंभीरता से विचार किया जा सकता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

> "22. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कुछ संशोधनों के अधीन लागू होगी- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में प्रभाव किसी भी कार्यवाही में लागू होंगे। मानो--
>
> XXX XXX XXX
>
> (सी) धारा 317 की उप-धारा 2 के बाद निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की गई थी अर्थातः-
>
> 3- तथापि उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी भी बात के बावजूद भी न्यायाधीश यदि वह उचित समझे और उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से आरोपी व उसके वकील की अनुपस्थिति में जांच या मुकदमा चला सकता है या किसी भी गवाह की साक्ष्य को रिकॉर्ड कर सकता है जो अभियुक्त के इस अधिकार के अधीन है कि वह गवाह को जिरह के लिए वापस बुला सके।"

बी. <u>साक्षियों की जांच</u>

10. आरोपी और पीड़ित के अधिकारों और कर्तव्यों में सामंजस्य बिठाने के बीच अक्सर गवाह को भुला दिया जाता है। कोई भी कानूनी प्रणाली न्याय प्रदान नहीं कर सकती यदि उसके साथ ऐसा अनुकूल माहौल न हो जो गवाहों को गवाही देने के लिए प्रोत्साहित और आमंत्रित करता हो। जांच जिरह पुलिस के साथ व्यवहार आदि के उलझे हुए धागों के साथ विरोधी मुकदमेबाजी के जाल में न्याय की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए गवाहों को आकर्षित करने की क्षमता का अभाव है यह चकित करने वाली बात है कि फिर भी जांच की ऐसी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं जो गवाह को अपना पक्ष रखने के लिए और अधिक हतोत्साहित करती हैं। अक्सर गवाहों से जिरह को अलग रखते हुए केवल जांच के निष्कर्ष में ही एक दिन से अधिक का समय लग जाता है। फिर भी उनकी जांच लगातार दिनों में नहीं बल्कि महीनों में अलग-अलग तारीखों पर की जाती है। यह प्रथा एक गवाह के लिए बड़ी असुविधा का कारण बनती है क्योंकि उसे बार-बार एक महत्वपूर्ण अवधि में सुनवाई में उपस्थित होने के लिए यात्रा और रसद पर खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा यह अक्सर सवाल पूछने और जवाब देने के मामले में अनावश्यक दोहराव का कारण बनता है और व्यक्ति की कभी-कभी लुप्त होती याददाश्त पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता भी पैदा करता है। ये सभी कारक मिलकर लंबे परीक्षण का कारण बनते हैं जिससे मुकदमों की अवधि बढ़ जाती है।

11. सेशन्स विचारण की पिछली पद्धति पर वापस लौटना समझदारी होगी यानी तीन से चार दिनों की ब्लॉक अवधि में लगातार दिनों में एक गवाह की मुख्य परीक्षा और जिरह आयोजित करना। यह गवाह को यात्रा और आवास की एकमुश्त व्यवस्था करने के बाद अपना पक्ष रखने की अनुमति देता है जिसके बाद उसे किसी विशेष मामले के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है। इसलिए यह न्यायालय संबंधित अदालतों को सेशन्स विचारण की पद्धति अपनाने और गवाहों की जांच के लिए ब्लॉक तिथियां निर्धारित करने का निर्देश देता है।

12. नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने यह भी बताया कि चूंकि नशीली दवाओं और पदार्थों से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए कई अलग-अलग एजेंसियों के समन्वय की आवश्यकता होती है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी राजस्व खुफिया विभाग(डीआरआई सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसी राज्य उत्पाद शुल्क एजेंसी इनमें से कुछ एजेंसियों के विभिन्न अधिकारियों की उपस्थिति प्राप्त करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए जांच पूरी होने पर जांच अधिकारी अपने मूल संगठनों में लौट आते हैं और इस प्रकार अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अक्सर अनुपलब्ध रहते हैं। ऐसे सरकारी अधिकारियों की साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के आलोक में हम संबंधित अदालतों को निर्देश देते हैं कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 का अधिक से अधिक उपयोग करें और

सरकारी गवाहों से शपथपत्र के रूप में साक्ष्य लेकर समय बचाएं। संबंधित अनुभाग इस प्रकार हैः-

"293. **कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें।**

1- इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान जांच या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए विधिवत प्रस्तुत किए गए किसी भी मामले या वस्तु पर सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ जिस पर यह धारा लागू होती है, के अधीन एक रिपोर्ट होने का दावा करने वाला कोई भी दस्तावेज इस संहिता के तहत किसी भी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग हो सकता है।

2- यदि न्यायालय उचित समझे, तो ऐसे किसी विशेषज्ञ को उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु के संबंध में बुला सकता है और उसकी जांच कर सकता है।

3- जहां किसी ऐसे विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है और वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह जब तक कि न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश न दिया हो अपने साथ काम करने वाले किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नियुक्त

कर सकता है यदि ऐसा अधिकारी मामले के तथ्यों से परिचित हो और अपनी ओर से अदालत में संतोषजनक ढंग से गवाही दे सके।

4- यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर लागू होती है अर्थातः-

ए- सरकार का कोई भी रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक

बी- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

सी- फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशक

डी- निदेशक हाफकैन इंस्टीट्यूट बॉम्बे

ई- केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक उप निदेशक या सहायक निदेशक

एफ- सरकार का सीरोलॉजिस्ट।

जी- इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ।"

सी. <u>कार्यभार</u>

13. अदालतें अनावश्यक रूप से अत्यधिक बोझ से दबी हुई हैं जो कि उनसे निपटाए जाने वाले मामलों के विविध भंडार का परिणाम है। हमें नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि एनडीपीएस कोर्ट का महत्वपूर्ण समय जमानत और अन्य आपराधिक मामलों से निपटने में खर्च होता है। इसके अलावा कई राज्यों में एनडीपीएस मामलों की संख्या के अनुसार मामलों के निपटने के लिए आवश्यक एनडीपीएस अदालतें भी नहीं हैं।

14. इसलिए हम इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैंः

1- प्रत्येक राज्य को उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर राज्यों(जहां पांच वर्षों से अधिक के लंबित मामलों की संख्या अधिक बताई गई है को विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है जो विशेष रूप से एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के मामले निपटाएंगी।

2- इन अदालतों की संख्या राज्य में लंबित मामलों की संख्या को संभालने के लिए आनुपातिक और पर्याप्त होनी चाहिए।

3- जब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत एनडीपीएस मामलों के निपटान के लिए विशेष अदालतें स्थापित नहीं हो जाती तब तक इन मामलों को अन्य सभी मामलों पर प्राथमिकता दी जाएगी

एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की मंजूरी के बाद ही एनडीपीएस अदालत को किसी अन्य मामले को लेने की अनुमति दी जाएगी।

डी. <u>नारकोटिक्स प्रयोगशालाएं</u>

15. राष्ट्रीय स्तर पर नारकोटिक्स प्रयोगशालाएं दवाओं के दुरूपयोग के लिए दवाओं और संदिग्ध नमूनों में उनके साथ मौजूद पदार्थों की पहचान करती हैं अवैध दवाओं की शुद्धता और संभावित उत्पत्ति का निर्धारण करती हैं दवा से संबंधित अनुसंधान करती हैं विशेष रूप से दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी दवाओं के नए स्रोतों पर और जब पुलिस या अदालतों को आवश्यकता हो तो मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में सहायक विशेषज्ञता प्रदान करती है। एनडीपीएस अधिनियम के अधिदेश के प्रभावी कार्यान्वयन में उनकी भूमिका अपरिहार्य है यही कारण है कि प्रत्येक राज्य या क्षेत्र को इन प्रयोगशालाओं तक निकटतम पहुंच होनी चाहिए ताकि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए नमूनों को जांच के लिए समय पर भेजा जा सके। ये नमूने अक्सर अभियोजन और बचाव दोनों के लिए प्राथमिक और निर्णायक साक्ष्य बनते हैं जिससे मादक द्रव्य प्रयोगशालाओं द्वारा उनका मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण अभ्यास बन जाता है।

16. इन प्रयोगशालाओं की संख्याएँ स्वयं बोलती हैं और यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई हैं। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज (सीएफएसएल के नंबर इस प्रकार हैंः-

क्रम संख्या	सीएफएसएल लोकेशन	स्थिति
1	चंडीगढ़	प्रचलन में
2	हैदराबाद	प्रचलन में
3	कोलकाता	प्रचलन में
4	दिल्ली(केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधीन)	प्रचलन में
5	भोपाल	स्थापित हो रही है
6	पुणे	स्थापित हो रही है
7	गुवाहाटी	स्थापित हो रही है

17. इसी प्रकार राज्य और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं(एफएसएल के नंबर इस प्रकार हैंः-

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मौजूदा राज्य सुविधाएं	
		मुख्य राज्य एफएसएल	व क्षेत्रीय एफएसएल
1	आन्ध्रप्रदेश	1	9

2	अरूणाचल प्रदेश	1	0
3	आसाम	1	0
4	बिहार	1	1
5	छत्तीसगढ़	1	2
6	गोआ	स्थापित हो रही है	0
7	गुजरात	1	5
8	हरियाणा	1	2
9	हिमाचल प्रदेश	1	0
10	जम्मु और कश्मीर	1	1
11	झारखण्ड	1	0
12	कर्नाटक	1	4
13	केरल	1	2
14	मध्यप्रदेश	1	3
15	महाराष्ट्र	1	4
16	मणिपुर	1	0

17	मेघालय	1	0
18	मिजोरम	1	0
19	नागालेण्ड	1	0
20	उड़िसा	1	2
21	पंजाब	1	0
22	राजस्थान	1	3
23	सिक्किम	0	1
24	तमिलनाडू	1	9
25	त्रिपुरा	1	0
26	उत्तरप्रदेश	1	2
27	उत्तराखण्ड	1	0
28	पश्चिम बंगाल	1	2
केंद्र शासित प्रदेश			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0
2	चंडीगढ़	0	0

3	दादर और नागर हवेली	0	0
4	दमन और दीव	0	0
5	लक्षद्वीप	0	0
6	दिल्ली एनसीटी	1	0
7	पुडुचेरी	0	0
	कुल	28	52

18. वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए इन प्रयोगशालाओं की गुणात्मक और मात्रात्मक मरम्मत आवश्यक है जिसके लिए हम निम्नलिखित निर्देश जारी कर रहे हैंः

1- केंद्र को देश के विभिन्न हिस्सों से सीएफएसएल तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। वर्तमान चार सीएफएसएल ही देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्सों के कुछ क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए, पाइपलाइन में तीन के अलावा, अधिक सीएफएसएल स्थापित किए जाने चाहिए विशेष रूप से देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने के लिए।

2- इसी प्रकार के निर्देश राज्यों को जारी किए जाते हैं। कई राज्यों के पास नमूनों के विश्लेषण की सुविधा के लिए कोई मौजूदा बुनियादी ढांचा नहीं है और इसलिए उन्हें जांच के लिए देश के अन्य

हिस्सों में प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए प्रत्येक राज्य को राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय स्तरीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ स्थापित करना आवश्यक है। हालाँकि ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या का निर्णय राज्य में मामलों के बैकलॉग पर निर्भर करेगा।

19- उपर्युक्त प्राधिकारियों को अपने अधीन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की सुविधाओं के उचित सुचारू और कुशल संचालन के प्रयोजनों के लिए तकनीकी कर्मचारियों के पर्याप्त रोजगार और सुविधाओं और संसाधनों का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए और प्रयोगशालाओं को अपनी रिपोर्ट संबंधित एजेंसियों को शीघ्रता से प्रस्तुत करनी चाहिए।

20- गृह मंत्रालय के फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय को विभिन्न फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में उपकरणों के मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए ताकि परिणामों में उतार-चढ़ाव को रोका जा सके और किसी पक्षकार को उस आधार पर परीक्षण परिणामों को चुनौती देने का अवसर न दिया जा सके।

ई. <u>कार्मिक</u>

21- हमें तीन सीएफएसएल अर्थात् चंडीगढ़ कोलकाता और हैदराबाद में निम्नलिखित रिक्तियों से भी अवगत कराया गया है।

पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त

वैज्ञानिक	99	64	35
तकनीकी	45	40	05

कर्मचारियों की कमी से इन प्रयोगशालाओं के सुचारू कामकाज में बाधा आना तय है और इसलिए हम गृह मंत्रालय के फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय को तत्काल आधार पर इसका समाधान करने का निर्देश देते हैं।

22- इसके अलावा तकनीकी कर्मचारियों उपकरणों और परीक्षण प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और विशेषज्ञता में सुधार के लिए संबंधित विभागों द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए।

ई. <u>प्रावधानों का पुनः परीक्षण</u>

23. एनडीपीएस अधिनियम स्वयं नमूनों के पुनः नमूनाकरण या पुनः परीक्षण की अनुमति नहीं देता है। फिर भी इसके विपरीत एक प्रवृत्ति रही है एनडीपीएस अदालतें लगातार पुनः परीक्षण और पुनः नमूनाकरण के लिए आवेदनों को स्वीकार करती रही हैं। इन अनुप्रयोगों से देरी होती है क्योंकि वे अक्सर काफी समय बीतने के बाद विचारण पश्चातवर्ती चरणों में प्राप्त होते हैं। एनडीपीएस अदालतें पुनः परीक्षण की अनुमति दे रही हैं फिर भी उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का सहारा लेते हुए देखें: केरल राज्य बनाम दीपक पी शाह [(5)], निहाल खान बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार [(6)] या शायद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 79 और 80 जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और औषधि और प्रसाधन सामग्री

अधिनियम 1940 को लागू करने की अनुमति देते हैं। जबकि पुनः परीक्षण एक आरोपी का एक महत्वपूर्ण अधिकार हो सकता है जिस बेतरतीब ढंग से अधिकार को अन्य कानूनों से संबंधित प्रतिबंधों के बिना आयात किया जाता है हालांकि वह अस्वीकार्य है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत विचारण के हर चरण में पुनः परीक्षण और पुनः नमूनाकरण अन्य कानूनों के विपरीत बड़े पैमाने पर होता है जो एक विशिष्ट समय-सीमा को परिभाषित करता है जिसके भीतर अधिकार उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा विधायिका के विवेक का भी सम्मान किया जाना चाहिए जब वह स्पष्ट रूप से एक प्रावधान को छोड़ देता है जो अन्यथा अन्य विधानों में एक मानक के रूप में प्रकट होता है। विधानमंडल ने एनडीपीएस अधिनियम के विपरीत औषध और प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 25¼4½ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 13¼2½ और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 56 को पुनः परीक्षण हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए क्रमशः तीस दस और बीस दिनों की समयावधि की अनुमति देते हुए अधिनियमित किया है।

24. इसलिए पुनः परीक्षण अधिकारों को यदि ऐसा है भी तो उपर्युक्त कारकों के एक समामेलन के रूप में परिभाषित करना अनिवार्य है। इसके अलावा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के आलोक में जो कुछ खतरनाक पदार्थों के त्वरित निपटान की अनुमति देती है वह समय सीमा जिसके भीतर पुनः परीक्षण के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति दी जा

सकती है को सख्ती से परिभाषित किया जाना चाहिए। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए इस प्रकार हैः -

"52 ए अभिगृहित स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन

1- केंद्रीय सरकार किन्हीं स्वापक औषधियों मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के संबंध में परिसंकटमय प्रकृति चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता प्रतिस्थापन समुचित भंडारण स्थान की विषमता या किसी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी स्वापक औषधियों मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अथवा स्वापक औषधियों का वर्ग मनःप्रभावी पदार्थों का वर्ग नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरणों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका उनके अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में जो सरकार समय-समय पर इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् अवधारित करे व्ययन किया जाएगा।

2- जहां कोई स्वापक औषधियों मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों को अभिगृहीत कर लिया

गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है वहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक औषधियों मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन क्वालिटी परिमाण पैक करने के ढंग चिह्नांकन संख्यांक या ऐसे स्वापक औषधियों मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों या पैकिंग की जिनमें वे पैक किए गए हैं पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियां उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों जिन्हें उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों की पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा अर्थात्ः-

क- ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए या

ख- ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्र लेने औरे ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए या

ग- ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।

3- जहां उपधारा 2 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।

4- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय उपधारा 2 के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका स्वापक औषधियों मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।"

25. इसलिए ऊपर चर्चा किए गए कारकों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि संबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा आवश्यक परीक्षणों के पूरा होने के बाद, उनके परिणाम मामले से संबंधित सभी पक्षों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पुनः परीक्षण/पुनः नमूनाकरण के लिए

किसी भी अनुरोध पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत स्वाभाविक रूप से विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाने वाले ठोस कारणों से इन्हें अनुमति दी जा सकती है। ऐसे दुर्लभ मामलों में आवेदन परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए इसके बाद पुनः परीक्षण पुनः नमूनाकरण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि किसी भी बाध्यकारी परिस्थिति के अभाव में एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का पुनः परीक्षण पुनः नमूनाकरण सख्त वर्जित है।

जी. <u>निगरानी</u>

26. इन सिफारिशों के प्रभावी प्रबंधन और मामलों की स्थिति में सामान्य सुधार के लिए एक निगरानी एजेंसी आवश्यक है। इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि एनडीपीएस मामलों से निपटने वाले सभी विभागों में जांच और परीक्षण की प्रगति की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। यह नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक के पद के समकक्ष या वरिष्ठ होने चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगें कि दस्तावेजों की आपूर्ति न होने, गवाहों की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से मुकदमे में देरी न हो।

27. हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से यह भी सीखा है कि अदालतों और विभाग के बीच मामलों की प्रगति के संचार के संबंध में कुछ प्रकार की सूचनात्मक विषमता प्रचलित है। इसलिए प्रत्येक अदालत के लिए एक पैरवी अधिकारी या अन्य ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो उस अदालत के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्ट देगा।

एच. <u>लोक अभियोजक</u>

28. लोक अभियोजक न्याय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार विचारण की गति और परिणाम के लिए उनकी गुणवत्ता का गहरा महत्व है। हमें सूचित किया गया है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सिफारिश पर कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जांच के बाद गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। हमारा सुझाव है कि हमारे सामने रखी गई नियुक्ति की प्रक्रिया को आम तौर पर लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप लाया जाए जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 के तहत अनिवार्य है। हालांकि वर्तमान के लिए हम निर्देश देते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश संबंधित सत्र प्रभाग के प्रशासन की देखभाल के प्रभारी प्रशासनिक न्यायाधीश पोर्टफोलियो न्यायाधीश निरीक्षण न्यायाधीश के परामर्श से ऐसी नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करेंगे।

आई. <u>अन्य सिफारिशें।</u>

29. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 207 के अनुपालन की मांगों के कारण देरी होती है जो इस प्रकार हैः-

> "207. **अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजाें की प्रतिलिपि देना।** किसी ऐसे मामले में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित की गई है मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क देगा
>
> 1- पुलिस रिपोर्ट
>
> 2- धारा 154 के अधीन लेखबद्ध की गई प्रथम इत्तला रिपोर्ट
>
> 3- धारा 161 की उपधरा 3 के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के कथन जिनकी अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है उनमें से किसी ऐसे भाग को छोड़कर जिनको ऐसे छोड़ने के लिए निवेदन धारा 173 की उपधारा 6 के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है

4- धारा 164 के अधीन लेखबद्ध की गई संस्वीकृतियां या कथन यदि कोई हों

5- कोई अन्य दस्तावेज या उसका सुसंगत उद्धरण जो धारा 173 की उपधारा(5 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई है

परन्तु मजिस्ट्रेट खण्ड 3 में निर्दिष्ट कथन के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात् यह निदेश दे सकता है कि कथन के उस भाग की या उसके ऐसे प्रभाग की जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाए

परन्तु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि खण्ड (5 में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशालकाय है तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निदेश देगा कि उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा।"

30- हम उम्मीद एवं आशा करते हैं कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन केंद्र सरकार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जैसा भी मामला

हो शीघ्रता से और उसी भावना से किया जाएगा जिस भावना से ये बनाए गए हैं।

31- पृथक होने से पहले हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा न्याय मित्र श्री उत्कर्ष सक्सेना लॉ क्लर्क-सह-अनुसंधान सहायक और सभी अधिकारी जिनसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अनुरोध किया गया था द्वारा हमें प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी गहरी सराहना दर्ज करते हैं।

32- मामला खत्म हो गया है।

केकेटी

अपील निस्तारित।

(1) (1994) 6 एससीसी 731
(2) (2002) 10 एससीसी 529
(3) 96 ए.ईडी. 183 (1951)
(4) (1980) 1 एससीसी 81
(5) 2001 सीआरआईएलजे 2690
(6) 2007 सीआरआईएलजे 2074

(7)

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री किशन लाल चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****